

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 78/2025

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 69 वर्ष
2. भवराराम पुत्र रूपाराम उम्र 40 वर्ष
3. निम्बाराम पुत्र रूपाराम उम्र 42 वर्ष  
जातियान राईका निवासी धने की ढाणी  
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. डुगराराम पुत्र शेराराम उम्र 50 वर्ष
2. श्रीमति नोजी देवी पत्नी शेराराम उम्र 75 वर्ष
3. श्रीमति अण्छीदेवी पत्नी मानाराम उम्र 75 वर्ष
4. जोगाराम पुत्र पूंजाराम उम्र 60 वर्ष
5. शिवजीराम पुत्र पूजाराम उम्र 70 वर्ष
6. हेमाराम पुत्र खेताराम उम्र 65 वर्ष
7. हीराराम पुत्र खेताराम उम्र 55 वर्ष
8. जोगाराम पुत्र पीथाराम उम्र 45 वर्ष
9. रावताराम पुत्र पीथाराम उम्र 50 वर्ष
10. श्रीमति सेजूदेवी पत्नी पीथाराम उम्र 70 वर्ष
11. उमाराम पुत्र मानाराम उम्र 45 वर्ष
12. मंगलाराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष
13. ईसराराम पुत्र हरखाराम उम्र 50 वर्ष
14. श्रीमति पारुदेवी पत्नी हरखाराम उम्र 75 वर्ष
15. बाकाराम पुत्र हरखाराम उम्र 45 वर्ष
16. रूपाराम पुत्र धनाराम उम्र 75 वर्ष
17. जोराराम पुत्र धनाराम उम्र 65 वर्ष
18. हीराराम पुत्र चिमनाराम उम्र 70 वर्ष  
जातियान राईका निवासी धने की ढाणी  
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
19. धुडाराम पुत्र शोभाराम उम्र 60 वर्ष  
जाति सूथार निवासी धने की ढाणी  
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
20. छोगाराम पुत्र मगलाराम उम्र 20 वर्ष
21. तगाराम पुत्र भारमलराम उम्र 70 वर्ष
22. बाबू पुत्र मगलाराम उम्र 22 वर्ष
23. श्रीमति लीला पत्नी मंगलाराम उम्र 45 वर्ष  
जातियान राईका निवासी धने की  
ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
24. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी

सिणधरी



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बावत)

उपरिथति-

1. श्री रामजीवन विश्णोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपरिथत।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 18.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयरभूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त समय दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी



प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयरभूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयरभूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 163 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा संख्या 565/164 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 760/164 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व खसरा संख्या 570/101 रकबा 1.2944 हैक्टेयरभूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

